

आवेदन विवरण की प्रति

उपनिबंधक कार्यालय : बिसौली, बदायूं

आवेदन संख्या:
201800779001567

आवेदन दिनांक: 01-02-2018

सेखपत्र का प्रकार: पट्टा विलेख/
कबूलियतनामा

प्रस्तुतकर्ता का विवरण

नाम (हिन्दी में) : रमा देवी नाम (अंग्रेजी में) : RAMA DEVI
ई-मेल : मोबाइल : 9759946513

सम्पत्ति क्रम संख्या-1

सम्पत्ति की स्थिति का विवरण

जनपद : बदायूं तहसील : बिसौली
वाड़/परगना : इस्लाम नगर मोहल्ला/गाँव : अल्लैहपुर समसपुर
सम्पत्ति का विवरण : एक कित्ता विद्यालय जिसकी पै० पू० 132मी० व प० 124मी० व उ० 67.45मी० व द० 87मी० कुल क्षेत्र लगभग 9885 वर्ग मीटर
सम्पत्ति प्राप्ति का श्रोत : प्राधिकरण/परिषद्/अन्य/विरासत
अवधि तक:

वर्ष	महीना
30	0

औसत वार्षिककिराया : 60000.0
प्रीमियम मूल्य : 5000

अन्य निर्देश का विवरण

क्रम संख्या

अन्य निर्देश का विवरण

सम्पत्ति मूल्यांकन विवरण

कुल देय निबन्धन शुल्क : 7200 कुल देय स्टांप शुल्क : 7200
वास्तविक बाजारी मूल्य : वास्तविक स्टांप शुल्क : 7200

सम्पत्ति की चौहद्दी

पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण	बसरा संख्या	प्लॉट संख्या /अवन संख्या/दुकान संख्या	संलग्न नक्शा
श्री प्लाट वीरेन्द्र प्रकाश	श्री मकान संजय चण्डक	श्री सड़क इस्लामनगर बहजोई मार्ग	श्री खेत धर्म सिंह आदि	1998 व 1995		

समस्त संपत्तियों से प्राप्त शुल्क का विवरण

बाजारी मूल्य:

0

कुल देय निबन्धन शुल्क: 7200

कुल देय स्टांप शुल्क:

7200

वास्तविक स्टांप शुल्क: 7200

वास्तविक बाजारी मूल्य:

0

रमा देवी

रमा देवी

स्टाम्प में छूट का विवरण

स्टाम्प में छूट का विवरण

अन्य

हिस्साकसी विवरण (पोयर सैलंडर)

क्र० सं०	महिला	अंश	मूल्यांकन	स्टाम्प शुल्क
प्रपत्र में कुल पन्नों की संख्या (दोनों तरफ)				: 24 प्रतिनिधिकरण शुल्क-रु०
: 80				

पक्षकार का विवरण

क्रम संख्या	पक्षकार प्रकार	पक्ष का नाम	माता/पिता/पति/अन्य का नाम	निवास स्थान का पता	व्यवसाय प्रस्तुतकर्ता	छायाचित्र
1	पट्टा दाता	श्रीमती रमा देवी	पत्नी श्री संतोष कुमार	मौ० स्टेट बैंक रोड कस्बा इस्लामनगर तहसील बिलासी जिला बदायूं	गृहिणी स्वयं	
2	पट्टा गृहीता	श्री विद्यादेवी रामकुमार वैशिशिक सामाजिक समिति के द्वारा श्री अध्यक्ष सन्तोष कुमार	पुत्र श्री रामकुमार	मैन मार्केट कस्बा इस्लामनगर तहसील बिलासी जिला बदायूं	कृषि	अधिकृत पदाधिकारी/प्रतिनिधि
3	गवाह-प्रथम	श्री हितेन्द्र शंखधर	पुत्र श्री तोताराम शंखधर	मौ० साहूकारा कस्बा इस्लामनगर तहसील बिलासी जिला बदायूं	कृषि	
4	गवाह-द्वितीय	श्री राजू पाठक	पुत्र श्री मगवानदास	अल्लैहपुर समसपुर परगना इस्लामनगर तहसील बिसौली जिला बदायूं	कृषि	

स्टाम्प में छूट का विवरण

क्रम संख्या	अन्य	स्टाम्प में छूट का विवरण
1		

रमा देवी

मन्तोष कुमार

10/05

लेखपत्र के संक्षिप्त विवरण
का
कम्प्यूटर घोषणा-पत्र

कुल पृष्ठों की सं०... 24
लेखपत्र सं०.....

टोकन नं०

1. लेखपत्र का प्रकार..... किराथानामा अधि: 30 वर्ष
2. भूमि/सम्पत्ति का प्रकार.....
3. ग्राम/मौहल्ला... अल्लैहपुर सभसपुर परगना... इस्लामनगर वी-कोड... 1003
4. सम्पत्ति का क्षेत्रफल/कुल विक्रोत रकबा..... गाटो संख्या... 1998 व 1995
9885 कमीयर
5. आच्छादित क्षेत्रफल..... 2526 कमीयर
6. सड़क की स्थिति..... अ इस्लामनगर बहगोई मार्ग पर
7. सेगमेंट का नाम यदि कोई हो.....
8. चौहददी- पूरब में प्लाट वीरेन्द्र प्रकाश पश्चिम में मकान संजय पाठक
उत्तर में सड़क इस्लामनगर बहगोई मार्ग दक्षिण में खेत धर्म सिंह आदि
9. मूल्यांकन की दर..... प्रारूप..... पृष्ठ..... वी-कोड... 1003 कॉलम सं०
10. सम्पत्ति का सरकारी बाजार मूल्य... 3,60,000/- प्रतिफल.....
11. लेखपत्र के तैयारकर्ता एवं पक्षकारों व गवाहों के फोटो प्रमाणित करने वाले अधिवक्ता/प्रलेखक का नाम... प्रेम पाहल सिंह एडवोकेट रजि० सं०/अनुज्ञप्ति... 3277/07
12. तहसीलदार द्वारा प्रमाणित संलग्न खतौनी का फसली वर्ष.....
13. यदि लेखपत्र किसी न्यायालय के आदेश के क्रम में प्रस्तुत हो रहा है तो न्यायालय का नाम वाद संख्या.....
14. दिया गया कुल स्टाम्प शुल्क..... पंजीकरण शुल्क..... प्रतिलिपीकरण शुल्क.....
7200/- 7200/-

लेखपत्र के निष्पादन के ह०/अं० चिन्ह

रक्षा देवी

मन्ना लाल

प्रतिफल- 5000 स्टाम्प शुल्क- 7200 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 7200 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 7280

श्रीमती रमा देवी,
पत्नी श्री संतोष कुमार
व्यवसाय : गृहिणी
निवासी: मौ० स्टेट बैंक रोड कस्बा इस्लामनगर तहसील बिल्सी जिला बदायूं

रमा देवी



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 02/02/2018 एवं 03:48:52 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

प्र० विपिन कुमार
उप निबंधक : बि
बदायूं

प्रिंट करें



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 5000

Rs. 5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTAR PRADESH

किराया-गमा

5510434

CE 510434

कोषाधिकारी
बदायूँ-13

किराया- 5000/- प्रतिमाह

29 JAN 2018
किराया अधि = 30 वर्ष

हम कि श्रीमती रमादेवी पत्नी श्री सन्तोष कुमार जात्रि-लैश्य
निवासीनी मौहल्ला- स्टैट बैंक रोड कस्बा-इस्लामनगर तहसील
बिल्सी जिला बदायूँ [पश्चिम पक्ष] व विधादेवी राम कुमार
शैक्षणिक सामाजिक समिति स्टैट बैंक रोड कस्बा-इस्लामनगर
तहसील- बिल्सी जिला- बदायूँ द्वारा अध्यक्ष श्री सन्तोष कुमार
पुत्र राम कुमार जात्रि- लैश्य निवासी मौहल्ला- मैत्र मार्केट कस्बा
इस्लामनगर तहसील- बिल्सी जिला- बदायूँ [द्वितीय पक्ष] हैं

यह कि एक क़िा विधालय भवन स्थित
ग्राम- अल्लैडपुर समसपुर पहाणा- इस्लामनगर तहसील- बिल्सी
जिला बदायूँ में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग
9885 वर्गमीटर है। जिसमें लगभग 2526 वर्गमीटर कर्ब एरिया
जो गाय संख्या 1998 व गाय संख्या 1995 में स्थित है जिसकी

रमादेवी



सन्तोष कुमार



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

INDIA



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S.T.O. BISAULI

22 JAN 2018

BA 158252

धौहवी इस प्रकार है- पूरब में एजाट वीरेन्द्र प्रकाश पाठक व पश्चिम में मकान सेजय पाठक व उत्तर में सड़क इस्लामाबाद बहजोई मार्ग व दक्षिण में खेत धर्म सिंह आदि का है। जो प्रथम पक्ष का है जिसको द्वितीय पक्ष किराये पर ले रहा है जिसकी शर्तें इस प्रकार हैं:-----

- ① यह कि उक्त विधालय भवन का किराया प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से मुबलिंग 50000/- रुपया प्रतिमाह तथा 60,000/- रुपया वार्षिक तय किया है।

रमादेवी



सन्तोकर कुमार



रमादेवी



सन्तोकर कुमार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


S.T.O.
BISAULI

22 JAN 2018 BA 158251

- ② यह कि उक्त विधालय भवन के किराये की अवधि 30 (तीस) वर्ष तक रहेगी यह अवधि दिनांक 13.12.2016 से दिनांक 12.12.2046 तक रहेगी।
- ③ यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को 60,000/- साठ हजार रुपये वार्षिक साल दर साल अदा करता रहेगा। और उक्त किराये की रसीद द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष से प्राप्त करता रहेगा।
- ④ यह कि किराया 60,000/- साठ हजार रुपये वार्षिक दर से अदा किया जायेगा बीच में बढ़ाया या कटया नहीं जायेगा।
- ⑤ यह कि उक्त विधालय भवन को द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष से जिल दशा में लिया है उसी दशा में प्रथम पक्ष की अवधि समाप्त होने के बाद वापस कर देगा और उस पर प्रथम पक्ष को कब्जा भी दे देगा।

रमा देवी

रमलक्ष्मी कुमारी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S.T.O. BISAULI

22 JAN 2018

DV 880672

- ⑥ यह कि द्वितीय पक्ष यदि उक्त सम्पत्ति की अवधि समाप्त के बाद किराये की अवधि बढ़ाना चाहता है तो प्रथमपक्ष की सहमति से पुनः नियमानुसार बढ़ाई जा सकती है। पैमाणा १०० 132 मी० व परि० 124 मी० व 30 67.45 मी० दक्षि० 87 मी० कुल क्षेत्रफल 9885 वर्ग मीटर है।
- ⑦ यह कि द्वितीय पक्ष प्रथमपक्ष को प्रति वर्ष उक्त किराया अदा नहीं करता है तो प्रथम पक्ष को उक्त अवधि के पूर्व में ही अपनी विधानसभ्य भवन को खाली कराने का अधिकार होगा।
- ⑧ यह कि विद्युत कनेक्शन का बिल्व द्वितीय पक्ष अदा करेगा।

अतः यह किराया नामा लिख दिया ताकि-

रमा देवी



संतोष कुमार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S.T.O. BISAULI

22 JAN 2018


DV 880671

प्रमाण रहे और समय पर काम आएँ ।

रमादेवी



सत्यदेव



साक्षी नं० १: हितेन्द्र शंखधर पुत्र स्व० पी. लोताराम
 निवासी मौहल्ला सादूकारा कस्बा इस्लामनगर
 तहसील बिसौली जिला गढ़मई ॥



(Handwritten signature)

साक्षी नं० २: राजूपाठक पुत्र श्री भगवानदास
 निवासी ग्राम अल्लैहपुर खमसपुर परगना
 उल्लामनगर तहसील बिसौली जिला गढ़मई ॥



(Handwritten signature)

R080

लेखन दिनांक: ०१.०२.२०१८ ई०
 लिपिकारिका व मशविदास्त्री: प्रेमपाल सिंह एडवोकेट बिसौली गढ़मई